सं.19030/4/2020-ई.IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 24 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार की सेवा में पुनर्नियोजित व्यक्ति हेतु रियायतें-यात्रा भत्ते की अदायगी।

उपर्युक्त विषय पर, अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 10.02.2012 के का.ज्ञा. सं. 19030/6/2010-ई IV का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों में ढील देने के लिए इस विभाग में प्राप्त कई संदर्भों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर पुनः विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार में पुनर्नियोजित व्यक्तियों के संबंध में यात्रा भत्ते (अर्थात् स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता, संयुक्त स्थानांतरण अनुदान, निजी सामान का परिवहन और वाहन का परिवहन) की स्वीकार्यता को निम्नलिखित तरीके से विनियमित किया जाएः

(i) जहाँ, पेंशनभोगी पुनर्नियोजित किया गया हो और पुनर्नियोजित पेंशनभोगी द्वारा पहले ही उस कार्यालय/संगठन, जहाँ से वह सेवानिवृत्त हुआ है/अधिवर्षिता को प्राप्त हुआ है, से सेवानिवृत्त संबंधी यात्रा भत्ते का दावा किया गया होः

(क) ऐसी नियुक्ति के लिए उसे यात्रा भत्ता अनुमत किया जाएगा, यदि ऐसी नियुक्ति अधिवास स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान पर की गई हो अथवा ऐसी नियुक्ति के लिए अधिवास स्थल के निवास में परिवर्तन आवश्यक हो।
(ख) उसकी पुनर्नियोजन की अवधि पूरी होने के बाद भी उसे यात्रा भत्ता देय होगा।
(ग) दोनों मामलो में, यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति उस कार्यालय/संगठन द्वारा की जाएगी, जहां पर पेंशनभोगी को पुनर्नियोजित किया गया है।

(ii) यदि, पुनर्नियोजित पेंशनभोगी ने सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ते का दावा अपनी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष के अंदर नहीं किया है और उसे केन्द्र सरकार के तहत, सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पहले पुनर्नियोजत किया गया हैः

(क) उसे ऐसी नियुक्ति के लिए यात्रा भत्ता अनुमत किया जाएगा, यदि ऐसी नियुक्ति, ड्यूटी के अलावा किसी अन्य स्थान पर की गई हो अथवा ऐसी नियुक्ति के लिए ड्यूटी के पिछले स्थान के निवास में परिवर्तन आवश्यक हो।
(ख) उसकी पुनर्नियोजन की अवधि पूरी होने के बाद भी उसे यात्रा भत्ता देय होगा।
(ग) ऐसी नियुक्ति के कार्यग्रहण करने पर होने वाले यात्रा भत्ते का खर्च उस संगठन द्वारा वहन किया जाएगा, जहां से उक्त पेंशनभोगी सेवानिवृत्त/अधिवर्षिता को प्राप्त हुआ हो तथा यह उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के अनुसार होगा। पुनर्नियोजन की अवधि पूरी होने पर यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति उस कार्यालय/संगठन द्वारा की जाएगी, जहाँ पेंशनभोगी को पुनर्नियोजित किया गया है।

(iii) केन्द्र सरकार के अलावा किसी पुनर्नियोजित व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में, उसे यात्रा भत्ता ऊपर पैरा-1(i) में दिए गए प्रावधान के अनुसार अनुमत किया जाएगा।

2. उपर्युक्त मामलों में यात्रा भत्तों की स्वीकार्यता निम्नलिखित के अध्यधीन होगीः-

(i) यात्रा भत्ते की हकदारी, अंतिम समय में धारित पद तथा सेवानिवृत्ति के समय केन्द्र सरकार के तहत आहरित अंतिम वेतन के संदर्भ में होगी। केन्द्र सरकार के अलावा किसी पुनर्नियोजित व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में यात्रा भत्ते की हकदारी, केन्द्र सरकार में दिए गए के पद की समतुल्यता के अनुरूप होगी।

(ii) लोक हित में स्थानांतरण के संबंध में सरकारी अधिकारियों के लिए यथास्वीकार्य यात्रा भत्ता नियमों के एसआर-116 के उपबंध, समय-समय पर यथा-संशोधित, लागू होंगे।

3. यह आदेश, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा। पूर्व मामले, जिनका पहले निस्तारण हो गया है, फिर से नहीं खोले जाएंगे।

4. इसे वित्त सचिव एवं सचिव(व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
निदेशक

सेवा में,

1. **भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।**
2. **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठाकंन सूची के अनुसार)।**
3. **सभी वित्तीय सलाहकार।**